राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़

चतुर्थ तल,छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल व्यावसायिक परिसर, (दक्षिण पूर्व कॉर्नर)
सेक्टर–27, नवा रायपुर, अटल नगर, पिन–492015 (छत्तीसगढ)
दूरभाष–0771–2511287, 2511285, ई–मेलः office.mdnrhm@gmail.com

विज्ञापन क्रमांक / NHM / HR / 2022 / NS-344/458 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 11/05/2022

/ / वॉक–इन–इंटरव्यू / /

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ अंतर्गत प्रदेश के विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाईयों (SNCU) के सुदृढ़ीकरण हेतु शिशुरोग विशेषज्ञ (Pediatrician) एवं चिकित्सा अधिकारी (Medical Officer) के रिक्त संविदा पदों की भर्ती वॉक–इन–इंटरव्यू के माध्यम से किया जाना है। इस हेतु निर्धारित योग्यता रखने वाले इच्छुक अभ्यर्थी राज्य कार्यालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़, चतुर्थ तल, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, व्यावसायिक परिसर (दक्षिण पूर्व कार्नर), सेक्टर–27, नवा रायपुर, अटल नगर में अपने संपूर्ण मूल दस्तावेजों के साथ निम्नानुसार निर्धारित तिथि व समय में उपस्थित हो सकते हैं :–

स.क्र.	पदनाम	वॉक–इन–इंटरव्यू हेतु तिथि	समय
1	**शिशुरोग विशेषज्ञ (Pediatrician)**	19 / 05 / 2022	प्रातः 10:00 बजे से
2	**चिकित्सा अधिकारी (Medical Officer)**	20 / 05 / 2022	प्रातः 10:00 बजे से

भर्ती हेतु आरक्षण–रोस्टर अनुसार रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. (S.N.)	पदनाम (Post Name)	पदसंख्या (Total No. of Post)	अनारक्षित (UR)	अ.ज.जा. (ST)	अ.जा. (SC)	अ.पि.वर्ग (OBC)
01	शिशुरोग विशेषज्ञ (Pediatrician)	24	8	9	4	3
02	चिकित्सा अधिकारी (Medical Officer)	64	27	20	8	9

01. शिशुरोग विशेषज्ञ (Pediatrician) पद हेतु शैक्षणिक अर्हताएं एवं वेतनमान :–

1.1 एम.बी.बी.एस. की उपाधि के साथ शिशुरोग विशेषज्ञ की डिग्री / DNB / डिप्लोमा उपाधि धारक।

1.2 संविदा मानदेय :– चयनित चिकित्सक को संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एक मुश्त मासिक मानदेय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छ.ग. द्वारा निर्धारित Differential Salary Package (MD/DNB - Min. 93,750/- to Max. 1,98,000/- & DCH/PG Diploma - Min. 62,500/- to Max. 1,32,000/-) अनुसार प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भत्ता / सुविधा देय नहीं होगी।

1.3 छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन (Live registration in C.G. Medical Council) होना अनिवार्य है। अपंजीकृत अथवा अन्य राज्यों के मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत आवेदकों को छत्तीसगढ़ राज्य में सेवायें देने की स्थिति में नियुक्ति पश्चात् 45 दिवस के भीतर छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल (C.G. Medical Council) में पंजीयन (Registration) कराना अनिवार्य होगा।

1.4 प्रदेश के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं के SNCU में पूर्व से कार्यरत चिकित्सकों को प्रथम प्राथमिकता एवं निजी स्वास्थ्य संस्थाओं के SNCU एवं NICU में अनुभव रखने वाले चिकित्सकों को द्वितीय प्राथमिकता दी जावेगी। तत्पश्चात अन्य अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।

02. चिकित्सा अधिकारी (Medical Officer) पद हेतु शैक्षणिक अर्हताएं एवं वेतनमान :—

2.1 एम.बी.बी.एस. की उपाधि अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि धारक (समकक्ष उपाधि में केवल ऐलोपैथी पद्धति की उपाधि ही मान्य होगी।) के साथ एक वर्ष का कार्य अनुभव अनिवार्य है।

2.2 संविदा मानदेय :— चयनित चिकित्सक को संविदा सेवा अवधि के दौरान प्रतिमाह एक मुश्त मासिक मानदेय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा निर्धारित Differential Salary Package (Min. 58,100/- To Max. 98,350/-) अनुसार प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भत्ता/सुविधा देय नहीं होगी।

2.3 छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन (Live registration in C.G. Medical Council) होना अनिवार्य है। अपंजीकृत अथवा अन्य राज्यों के मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत आवेदको को छत्तीसगढ़ राज्य में सेवायें देने की स्थिति में नियुक्ति पश्चात् 45 दिवस के भीतर छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल (C.G. Medical Council) में पंजीयन (Registration) कराना अनिवार्य होगा।

2.4 प्रदेश के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं के SNCU में पूर्व से कार्यरत चिकित्सकों को प्रथम प्राथमिकता एवं निजी स्वास्थ्य संस्थाओं के SNCU एवं NICU में अनुभव रखने वाले चिकित्सकों को द्वितीय प्राथमिकता दी जावेगी। तत्पश्चात अन्य अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।

03. आयु सीमा :—

01 जनवरी, 2022 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 70 वर्ष होना आवश्यक है। आयु की गणना दिनांक 01 जनवरी 2022 को आधार मानकर की जायेगी।

04. आरक्षण :–

4.1 उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्च न्यायालय, बिलासपुर में दायर याचिकाओं (क्रमांक 591/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 592/2012, रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 593/2012 तथा रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 594/2012) में पारित होने वाले अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेंगी एवं माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अधीन होगा।

4.2 सेवा में भर्ती के समय "छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994" के प्रावधान तथा छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभिन्न वर्गों (जैसे–महिला/दिव्यांग/अन्य) के आरक्षण हेतु समय–समय पर जारी आरक्षण संबंधी निर्देश/आदेश/नियम (यथा संशोधित) लागू होंगें।

4.3 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के लिए अधिसूचित मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। अन्य प्रदेशों के मूल निवासी को अनारक्षित श्रेणी का माना जायेगा। आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु उम्मीद्वार को प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी छत्तीसगढ़ का मूल जाति प्रमाण पत्र काउंसिलिंग/सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

05. आवेदन शुल्क :–

5.1 अभ्यर्थी को नीचे अंकित तालिका अनुसार आवेदन शुल्क डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से **State Health Society, Raipur** के नाम से देय होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट राष्ट्रीयकृत बैंक का होना अनिवार्य है। शुल्क का विवरण निम्नानुसार है:–

संवर्ग	आवेदन शुल्क राशि रु.
विकलांग/अ.जा./अ.ज.जा./महिला	325/–
अन्य पिछड़ा वर्ग/अनारक्षित	650/–

5.2 अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। अतः अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों को अनारक्षित वर्ग हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा।

6. चयन प्रक्रिया :–

6.1 **शिशुरोग विशेषज्ञ (Pediatrician) हेतु चयन प्रक्रिया :–**

6.1.1 एम.बी.बी.एस. की उपाधि के साथ 01–शिशुरोग विशेषज्ञ की डिग्री 02–DNB 03–डिप्लोमा धारक को प्राथमिकता क्रम के आधार पर चयन किया जायेगा।

6.1.2 प्रदेश के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं के SNCU में पूर्व से कार्यरत चिकित्सकों को प्रथम प्राथमिकता एवं निजी स्वास्थ्य संस्थाओं के SNCU एवं NICU में अनुभव रखने वाले चिकित्सकों को द्वितीय प्राथमिकता दी जावेगी। तत्पश्चात अन्य अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।

6.1.3 अभ्यर्थी के डिग्री/DNB/डिप्लोमा + अनुभव प्रमाण–पत्र में अंकित कार्य अवधि के आधार पर वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जायेगी तथा मेरिट सूची अनुसार अभ्यर्थियों को वाक–इन–इंटरव्यू हेतु आमंत्रित किया जायेगा।

6.1.4 संबंधित स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्यरत अभ्यर्थियों को उनके **नियोक्ता द्वारा जारी** अनुभव सह अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6.1.5 एक से अधिक चिकित्सकों के समान योग्यता होने की स्थिति में उनके जन्मतिथि के आधार पर मेरिट तैयार किया जावेगा।

6.2 **चिकित्सा अधिकारी (Medical Officer) हेतु चयन प्रक्रिया :–**

6.2.1 अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्षो के प्राप्तांको के प्रतिशत का–85 प्रतिशत।

6.2.2 अनुभव 10/15 अंक–एन.एच.एम. छत्तीसगढ़ अंतर्गत कार्यरत अभ्यर्थियो को (प्रत्येक वर्ष हेतु 03 अंक) अधिकतम 15 अंक तथा अन्य अभ्यर्थियो को (प्रत्येक वर्ष हेतु 02 अंक) अधिकतम 10 अंक। अनुभव प्रमाणपत्र केवल शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शासकीय वित्त पोषित संस्थाओं के ही मान्य होंगे।

6.2.3 निजी संस्था से प्राप्त कार्य अनुभव को मान्य करते हुए अभ्यर्थियों को नियमानुसार पात्र सूची में सम्मिलित किया जावेगा, किन्तु उन्हें अनुभव का अंक प्रदान नहीं किया जावेगा।

6.2.4 प्रदेश के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं के SNCU में पूर्व से कार्यरत चिकित्सकों को प्रथम प्राथमिकता एवं निजी स्वास्थ्य संस्थाओं के SNCU एवं NICU में अनुभव रखने वाले चिकित्सकों को द्वितीय प्राथमिकता दी जावेगी।

6.2.5 निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का 85 प्रतिशत + अनुभव अंक (अधिकतम 15 अंक) को सम्मिलित कर वर्गवार मेरिट सूची तैयार की जावेगी तथा संयुक्त मेरिट सूची (अनारक्षित+अ.ज.जा.+अ.जा.+अ.पि.व. को सम्मिलित कर) अनुसार अभ्यर्थियों को वाक–इन–इंटरव्यू हेतु आमंत्रित किया जायेगा। संयुक्त मेरिट सूची के आधार पर ही अभ्यर्थियों को पदस्थापना स्थल के चयन हेतु अवसर दिया जायेगा।

6.2.6 संबंधित स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्यरत अभ्यर्थियों को उनके **नियोक्ता द्वारा जारी** अनुभव सह अनापत्ति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

7. आवेदन पत्र के संबंध में दिशा–निर्देश :–

7.1 उक्त पदों हेतु वॉक–इन–इंटरव्यू के लिये निर्धारित तिथि व समय में कार्यालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़, चतुर्थ तल, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, व्यावसायिक परिसर (दक्षिण पूर्व कार्नर), सेक्टर–27, नवा रायपुर, अटल नगर में प्रातः 10:00 बजे पंजीयन प्रारम्भ किया जावेगा।

7.2 इस हेतु वॉक–इन–इंटरव्यू तिथि में उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों को पंजीयन हेतु एक प्रपत्र दी जायेगी। प्रपत्र को भरने के उपरांत पात्रता को सिद्ध करने वाले समस्त दस्तावेजों की प्रतिलिपि–एक सेट (स्वप्रमाणित) संलग्न कर कार्यालय में समय दोपहर 12:00 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा।

7.3 विज्ञापन प्रकाशन तिथि तक समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं पूर्ण होना अनिवार्य है अन्यथा आवेदन पत्र तत्काल अस्वीकृत कर दिया जायेगा तथा इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं किया जायेगा। अर्हता को सिद्ध करने वाले समस्त प्रमाण पत्र आवेदन में संलग्न करना अनिवार्य होगा।

7.4 अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता (अंकसूची/सर्टिफिकेट) शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से होना अनिवार्य है।

7.5 पदस्थापना आदेश जारी होने उपरांत अभ्यर्थी को निर्धारित समयावधि में अपने मूल दस्तावेजों के साथ संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में उपस्थिति देना होगा।

7.6 **अभ्यर्थी वॉक–इन–इंटरव्यू तिथि को निम्नांकित दस्तावेजों की प्रतिलिपि–एक सेट प्रपत्र में संलग्न करना अनिवार्य होगा** :–

- 10वीं अंकसूची/जन्म प्रमाण पत्र।
- एम.बी.बी.एस. के समस्त वर्षों की अंकसूची।
- एम.बी.बी.एस. की डिग्री (स्थायी/अस्थायी) की प्रति।
- शिशुरोग विशेषज्ञ की डिग्री/DNB/डिप्लोमा की प्रति।
- National Examination Board (NBE) उत्तीर्ण प्रमाण–पत्र। (यदि लागू हो तो)
- इंटर्नशिप की प्रति।
- छत्तीसगढ़/अन्य राज्य के मेडिकल कांउसिल में जीवित पजीयंन (स्थायी/अस्थायी) की प्रति।
- मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया में जीवित पंजीयन प्रमाण–पत्र।(यदि लागू हो तो)
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थाई जाति प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो तो)।
- अनुभव प्रमाण–पत्र।

- अनापत्ति प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो तो)।
- एक पहचान पत्र। (आधार कार्ड/वोटर आई.डी./पेन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंट आदि जिसमें अभ्यर्थी नाम, पता एवं फोटो हो। (कोई एक)
- वर्तमान का रंगीन पोसपोर्ट साइज फोटो–एक नग।
- नियमानुसार निर्धारित आवेदन शुल्क के डिमाण्ड–ड्राफ्ट की मूल प्रति। (डिमाण्ड ड्राफ्ट राष्ट्रीयकृत बैंक का होना अनिवार्य है।)

7.7 पदों के साथ वर्णित वेतन सांकेतिक है। राज्य स्वास्थ्य समिति के निर्णय से पदों के मानदेय में परिवर्तन संभावित है।

7.8 संविदा पर नियुक्त अधिकारी का प्रतिवर्ष कार्य मूल्यांकन किया जावेगा। कार्य मूल्यांकन संतोषजनक होने की स्थिति में संविदा सेवा अवधि की वृद्धि आगामी वर्ष हेतु की जा सकती है।

7.9 चयनित अभ्यर्थी को कार्य में उपस्थित होने के पश्चात् मानव संसाधन नीति के नियमानुसार एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन जमा कर संविदा नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार अभ्यर्थी को त्याग पत्र देने के पूर्व एक माह पहले सूचना देना होगा अन्यथा उनके द्वारा एक माह का वेतन जमा कर त्याग पत्र दिया जा सकता है।

7.10 उक्त संविदा पद अस्थानांतरणीय होगा तथा नियुक्ति आदेशानुसार पदस्थापना स्थल में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा। निर्धारित समय व पदस्थापना स्थल में अपनी उपस्थिति नहीं देने की स्थिति में चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।

7.11 आवेदित पद पर चयनित होने मात्र से नियुक्ति का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अंतिम रूप से नियुक्त रिक्त पदों की वास्तविक उपलब्धता तथा अन्य आवश्यक प्रक्रिया/मापदण्डों पर निर्भर करेगी।

7.12 चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में यह पाया जाता है कि उम्मीदवार द्वारा किसी भी प्रकार का दबाव डाला/डलवाया जा रहा है या निष्पक्ष चयन प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो उनका आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा तथा इस संबंध में कोई भी दावा मान्य नहीं किया जावेगा।

7.13 ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सेवा अनुशासनहीनता/वित्तीय अनियमितता/अनुचित व्यवहार के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा समाप्त की गयी है, चाहे वे किसी भी पद पर रहे हो, उन्हें अपात्र उम्मीदवारों की श्रेणी में रखा जायेगा।

7.14 भर्ती प्रक्रिया के दौरान होने वाले किसी भी विवाद एवं समस्या पर अंतिम निर्णय लेने का सर्वाधिकार मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़ को होगा जो सभी आवेदकों को मान्य होगा।

7.15 शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत अभ्यर्थियों को नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुभव अंक हेतु नियोक्ता द्वारा जारी हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र को ही मान्य किया जावेगा।

7.16 आवश्यकतानुसार दस्तावेज परीक्षण राज्य कार्यालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, छत्तीसगढ़, सेक्टर–27, नवा रायपुर, अटल नगर या जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में आयोजित किया जावेगा, जिसमें सम्मिलित होने के लिये अभ्यर्थियों को कोई व्यय का भुगतान नहीं किया जावेगा।

8. अन्य महत्वपूर्ण बिन्दु :–

8.1 भर्ती से संबंधी समस्त जानकारी समय–समय पर केवल विभागीय वेबसाइट www.cghealth.nic.in में उपलब्ध करायी जावेगी। समयानुसार इसके अवलोकन की जिम्मेदारी अभ्यर्थियों की होगी। पृथक से कोई सूचना अभ्यर्थी को नहीं दी जावेगी।

(मिशन संचालक द्वारा अनुमोदित)

11/05/2022

संयुक्त संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
छत्तीसगढ़